

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रामविशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- 9-1-19

विषय:- तृतीय स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 14489 दिनांक- 05.11.18 एवं पत्रांक- 15244 दिनांक- 23.11.18

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का स्मरण कराते हुए निदेशानुसार कहना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक- 1524 दिनांक- 29.05.18, पत्रांक- 1798 दिनांक- 04.07.18 एवं पत्रांक- 2254 दिनांक- 23.08.18 द्वारा सभी विभागों से तृतीय स्नातक स्तरीय पदों से संबंधित अधियाचना पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परंतु अधिकांशतः विभागों से अधियाचना अब तक अप्राप्त है।

विदित हो कि बार-बार स्मार पत्र देने के बावजूद भी कुछ विभागों को छोड़ कर शेष अन्य विभागों से अभी तक आगामी तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित किये जाने वाले पदों की अधियाचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिसके कारण आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने में कठिनाई हो रही है, यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है।


अतः अनुरोध है कि त्वरित कार्रवाई करते हुये तृतीय स्नातक स्तरीय पदों से संबंधित अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को निम्नांकित अभिलेखों में वांछित सूचनाओं कि प्रविष्टि करते हुये दिनांक- 22.01.2019 तक सामान्य प्रशासन विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना चाहेंगे, ताकि आगामी तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित किया जा सके।

- सामान्य प्रशासन विभाग का जांच पत्र।
- सामान्य प्रशासन विभाग का प्रपत्र- 01।
- बिहार कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति हेतु भेजे जाने वाले अधियाचना प्रारूप।
- बिंदुवार आरक्षित वर्गों को देय आरक्षण संबंधित अद्यतन रोस्टर क्लियरेंस की प्रति।
- संबंधित पदों के नियमावली।

जिन विभागों में स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित करने वाले पद नहीं हो, वे भी शून्य प्रतिवेदन से अवगत कराना चाहेंगे। उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त अधियाचना को आगामी तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाय।

विश्वासभाजन,



(रामविशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।